



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226320
CG-DL-E-01042021-226320

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1328]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943

No. 1328]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

का.आ. 1438(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 250 की उपधारा (6ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपर्कहीन अपील योजना 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम संपर्कहीन अपील योजना (पहला संशोधन) 2021 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. संपर्कहीन अपील योजना, 2020 में,

(i) पैरा (2) के उपपैरा (1) में खंड (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :-

“(xviii) “राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र” से यथास्थति अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र या अधिनियम की धारा 144ख में निर्दिष्ट, राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र, अभिप्रेत है।”

(ii) “राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र”, पद के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, “राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र” पद रखा जायेगा।

[अधिसूचना सं. 26 /2021/फा. सं. 370142/33/2020-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव (कर नीति व विधान प्रभाग)

टिप्पण: मुख्य स्कीम भारत का राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) की अधिसूचना सख्ता का.आ. 3269 (अ), दिनांक 25 सितंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसे अब तक संशोधित नहीं किया गया है।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2021

S.O. 1438(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6B) of section 250 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendments in the Faceless Appeal Scheme, 2020, namely: —

1. **Short title and commencement.**— (1) The Scheme may be called the Faceless Appeal (Amendment) Scheme, 2021.

(2) It shall come into force on the 1st day of April, 2021.

2. In the Faceless Appeal Scheme, 2020, —

(i) in paragraph (2), in sub-paragraph (1), for clause (xviii), the following clause shall be substituted, namely:—

'(xviii) “National Faceless Assessment Centre” shall mean the National e-Assessment Centre set up under the scheme notified under sub-section (3A) of section 143 of the Act or the National Faceless Assessment Centre referred to in section 144B of the Act, as the case may be;';

(ii) for the expression “National e-Assessment Centre”, wherever it occurs, the expression “National Faceless Assessment Centre” shall be substituted.

[Notification No. 26/2021/F. No. 370142/33/2020-TPL]
SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3296 (E), dated the 25th September, 2020, which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

का.आ. 1439(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 250 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 3297 (अ) दिनांक 25 सितंबर 2020 में प्रकाशित की गयी थी, में “राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र”, पद के स्थान पर “राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र” पद जहां जहां वह आता है को प्रतिस्थापित करके, संशोधन करती है।